**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3941**

**सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/11 चैत्र, 1940 (शक)**

**टॉल प्लाजा के माध्यम से नियमित आने जाने वाले व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही**

**3941. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने ऐसी खबरों का खण्डन किया है कि ऐसा कोई प्रावधान है कि यदि नियमित रूप से आने-जाने वाले यात्रियों ने तीन मिनट से ज्यादा समय तक इन्तजार किया है तो उन्हें निःशुल्क आवाजाही की अनुमति होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एनएचएआइ के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान किसी भी समय पर विद्यमान नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क):** जी, हां।

**(ख) से (घ):** संशोधित राष्‍ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार और संबंधित रियायत करार के अनुसार भी,राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्‍ता फीस (टोल) लगाया और एकत्र किया जा रहा है। रारा फीस नियमावली में, फीस प्‍लाज़ा पर वाहनों की कतार में लगने वाले समय या दूरी से संबंधित ऐसी कोई विशेष छूट उपलब्‍ध नहीं है।

\*\*\*\*\*